भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5720

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुएं

5720. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक गांव में उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफपीएस के माध्यम से दालों, खाद्य तेल, मसालों और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कृषि में उपयोग किए जाने वाले बीजों और उर्वरकों की बिक्री किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित की जाती है, जिसका लक्ष्य मर्यादित जीवनयापन के लिए लोगों को किफायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापरक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में भोजन तथा पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत कवरेज दो श्रेणियों के अंतर्गत है- जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कवर किए गए परिवार शामिल हैं तथा शेष परिवारों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के रूप में चिह्नित किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार, जो निर्धन से निर्धनतम परिवार हैं, चावल/गेहूं/मोटा अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम के अत्यधिक सब्सिडीयुक्त मूल्य पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करने और प्राथमिकता श्रेणी से संबंधित परिवार 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मोटा अनाज/गेहूं/चावल के लिए क्रमशः 1/2/3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या की कवरेज की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम के तहत कवरेज को गरीबी अनुमानों से अलग कर दिया गया है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई बीपीएल श्रेणी नहीं है।

.....2/-

(ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। उचित दर दुकानों की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है, जिसमें उचित दर दुकानों (एफपीएस) आदि को लाइसेंस जारी करने और उनके कार्यकरण की देखरेख शामिल हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करती हैं कि उचित दर दुकानों के साथ संबद्ध राशन कार्ड धारकों की संख्या तर्कसंगत है, उचित दर दुकान इस प्रकार स्थित हो कि उपभोक्ता या राशन कार्ड धारक को उचित दर दुकान तक पहुंचने में कठिनाई ना हो और इसका उपयुक्त कवरेज पहाड़ी, मरूस्थल, जनजातीय तथा अन्य कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित हो।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अत्यधिक सब्सिडीयुक्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर देश में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्न नामतः चावल, गेहूं और मोटा अनाज आवंटित किए जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9(9) के अनुसार, राज्य सरकारें उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए अपनी उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दे सकती हैं।

****